न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–92/2016

अरविन्दसिह पुत्र मोहनसिह जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. जतनकंवर पत्नी गोपसिह
2. गिरधारी पुत्र रामसिह

} जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री करनैलसिह अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय

निर्णय दिनांक :– 30/12/2019

वादी अरविन्दसिह ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम से चकन0 29 एनजीसी पटवार हल्का पन्नीवाली के खाता सं0 16/16 के प0न0 175/257 मु0 न0 10 किलानं0 21 प0न0 174/257 मु0 11 किलानं0 16,17,18,19,22,23,24,25, प0न0 174/258 मु0 14 किलानं0 3,4,5,6,7,8,13 ता 18, प0न0 175/258 मु0 15 किलानं0 1,10,11,20 कुल 6.325 है0 मय गै0मु0 तथा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से चक नं0 3 एचएम.एच के खाता सं0 17/15 प0न0 171/266 मु0 7 किलानं0 15,16,17,24,25, प0न0 171/267 मु0 14 किलानं0 5,6, कुल 1.771 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पूर्वज तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज संयुक्त परिवार के सदस्य थे। वादी एंव प्रतिवादीगण के पूर्वज ने काफी वर्षो पूर्वसंयुक्त परिवार में रहकर आपसी सहयोग व मेहनत से वाद पत्र की दफा 2 में अंकित कृर्षि भूमि तथा अन्य चकों में भूमि काश्त करते थे। उसी अनुसार पूर्वज संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय से अन्य सम्पति प्राप्त की थी। मुझ वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों का संयुक्त परिवार काफी वर्षो पूर्व विभक्त होने के पश्चात दफा 2 में अंकित कृषि भूमि मुझ वादी के पूर्वजों को प्राप्त हुई जो मुझ वादी के पूर्वजों द्वारा उपरोक्त भूमि का बंजड़ से नौतोड़ कर काबिज काश्त बनाया था उक्त वर्णित भूमि पर वादी के पूर्वजों के पश्चात. पिछले 35 वर्षो से मुझ वादी के पिता के कब्जा काश्त में रही उनके पश्चात मुताबिक घरू बटवारा मुझ वादी को प्राप्त हुई है। जिस पर वादी पिछले 12–13 सालों से काबिज रहकर काश्त चला आ रहा है तथा रकम राज तथा आबयाना पूर्व में वादी के पूर्वज तथा अब काफी वर्षो से वादी खजाना राज में जमा करवाता आ रहा है।प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि का कब्जा मुझ वादी के पूर्वजों को सौंप कर मुताबिक समझौता अन्यत्र जगह कृषि भूमि में काश्त कर रहे है। वादी उपरोक्त वर्णित भूमि में बतौर काबिज काश्त काफी वर्षो से करता चला आ रहा है। विवादत आराजी पर प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जा बाबत कभी भी कोई कार्यवाही नही की व अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर रखी है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के नाम बिना हक व अधिकार राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज चली आ रही है वादी इस इन्द्राज से पांबद नही है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादी वादपत्र कीदफा 2 में दर्ज आराजी अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 व 2 का नाम खाता हाजों में से कलमजन करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
टिब्बी

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 व 2 अपना नाम कलमजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी के अनुसार भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर प्रतिवादीसं0 1 व 2 अपना नाम कलमजन करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तलबी नही होने पर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड सम्मन व तत्पश्चात अखबार में सायां करवाने बाबत तलबी हेतू आदेश जारी किया गया। प्रतिवादीगणा की तलबी बाबत रजिस्ट्री वापिस प्राप्त हुई व राजस्थान पत्रिका अखबार की प्रति व रजिस्ट्री की रसीद पेश की गई। प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बार बार आवाजे लगाई गयी लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 स्वंय या उनका कोई प्लीडर अदालत मे उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वाद का कोई खंडन पेश नही होने के कारण तनकी कायम करने की कोई आवश्कता नही हुई। साक्ष्य में वादी ने निम्न मौखिक व लिखित दस्तावेज पेश किये, जमाबन्दी चक 3 एचएमएच प्रदर्श–1, चकनं0 29 एनजीसी प्रदर्श–2, रजिस्टर्ड रसीद प्रदर्श 3 व 4, अखबार राजस्थान पत्रिका की प्रति प्रदर्श–5, नलकूप विधुत बिल वर्ष 2009 प्रदर्श–6 व नलकूप विधुत बिल वर्ष 2018 प्रदर्श–7, व नलकूप विधुत बिल वर्ष 2016 प्रदर्श–8, व प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पन्नीवाली उपसंरपच प्रदर्श–9 है।वादी द्वारा साक्ष्य मे बतौर गवाह शपथ पत्र पी.डबल्यू 1 वादी स्वंय, पी. डबल्यू– 2 मोहनसिह, पी.डबल्यू–3 रामस्वरुप पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के पूर्वज तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज संयुक्त परिवार के सदस्य थे। वादी एंव प्रतिवादीगण के पूर्वज ने काफी वर्षो पूर्वसंयुक्त परिवार में रहकर आपसी सहयोग व मेहनत से वाद पत्र की दफा 2 में अंकित कृषि भूमि तथा अन्य चकों में भूमि काश्त करते थे। उसी अनुसार पूर्वज संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय से अन्य सम्पति प्राप्त की थी। मुझ वादी व प्रतिवादी के पूर्वजों का संयुक्त परिवार काफी वर्षो पूर्व विभक्त होने के पश्चात दफा 2 में अंकित कृषि भूमि मुझ वादी के पूर्वजों को प्राप्त हुई जो मुझ वादी के पूर्वजों द्वारा उपरोक्त भूमि का बंजड़ से नौतोड़ कर काबिज काश्त बनाया था उक्त वर्णित भूमि पर वादी के पूर्वजों के पश्चात पिछले 35 वर्षो से मुझ वादी के पिता के कब्जा काश्त में रही उनके पश्चात मुताबिक घरू बटवारा मुझ वादी को प्राप्त हुई है। जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा रकम राज तथा आबयाना पूर्व में वादी के पूर्वज तथा अब काफी वर्षो से वादी खजाना राज में जमा करवाता आ रहा है। वादी द्वारा अपन कब्जा के समर्थन में पिता मोहनसिह का शपथ पत्र व एक अन्य स्वतन्त्र गवाह रामस्वरुप का शपथ पत्र पेश किया है व ग्राम पंचायत के उपसंरपच का प्रमाण पत्र इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण ग्राम पन्नीवाली में नही रहते व ना ही उनके द्वारा कभी जमीन काश्त की जाती रही है व प्रतवादीगण द्वारा अपना अपना हिस्सा पारिवारिक समझौता में छोड़ा हुआ है।उक्त भूमि घरू बटवारा में भूमि प्राप्त होने के कारण जरिये घोषणा उक्त भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा सम्यक रुप से तामील होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही आये है। वादी द्वारा उक्त चक की कृषि भूमि नलकूप से सिचित करते आ रहे है। विधुत नलकूप वादी के पिता के नाम की बिल की फोटो प्रति वर्ष 2009, 2016 व वर्ष 2018 पेश की है।वादी द्वारा अपनी बहस में अंकित किया है कि उक्त कृषि भूमि नलकूप द्वारा सिचित होती है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
डिडवाना

Scanned with CamScanner

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र व अपने पिता का शपथ पत्र, न्याय दृष्टांत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया सिविल अपील नं0 7764/2014 व स्पैशल लिव पेटीशन सिविल नं0 8332–8333/2014 तथा अन्य दस्तावेज पेश किये है। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादी की बहस के तर्को पर मनन किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेज व न्याय दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया। वाद को मौखिक साक्ष्य से भी प्रमाणित किया गया है। प्रस्तुत न्याय दृष्टांत भी प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होता है।पत्रावली में प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रुप से करवाई जाने के उपरान्त न तो प्रतिवादीगण हाजिर आये और ना ही वादी के वाद बाबत कोई विरोध प्रकट किया है व न ही कोई खंडनीय साक्ष्य पेश हुई है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीया सं0 1 जतनकंवर के नाम से चकन0 29 एनजीसी पटवार हल्का पन्नीवाली के प0न0 175/257 मु0 न0 10 किलानं0 21 प0न0 174/257 मु0 11 किलानं0 16,17,18, 19,22,23,24,25, प0न0 174/258 मु0 14 किलानं0 3,4,5,6,7,8,13 ता 18, प0न0 175/258 मु0 15 किलानं0 1,10,11,20 कुल 6.325 है0 मय गै0मु0 तथा प्रतिवादी सं0 2 गिरधारी के नाम से चक नं0 3 एचएम.एच के पटवार हल्का शेरेकां के प0न0 171/266 मु0 7 किलानं0 15,16,17,24,25, प0न0 171/267 मु0 14 किलानं0 5,6, कुल 1.771 है0 कृर्षि भूमि का वादी अरविन्द सिह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 29 एनजीसी में से प्रतिवादीया सं0 1 जतन कवंर का नाम व चक 3 एचएम.एच में से प्रतिवादी सं0 2 गिरधारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड अंकित करने के आदेश दिये जाते है।तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी